न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जायल
पीठासीन अधिकारी :– श्री सुरेश कुमार (आर.ए.एस)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या:– 02/19 दायर दिनांक:– 11.1.19

प्रार्थीगण:–

1. मुगनाराम पुत्र राजाराम जाट निवासी राजोद तह.जायल जिला नागौर।
2. महावीर पुत्र राजाराम जाट निवासी राजोद तह.जायल जिला नागौर।

बनाम

अप्रार्थी

1– सरकार जरिये तहसीलदार जायल जिला नागौर।

प्रार्थना–पत्र

अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित अधिवक्ता :–

श्री हनुमानराम मन्डा प्रार्थीगण की और से।

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 16.08.2019

प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ग्राम राजोद के निवासी है। प्रार्थी मुगनाराम पुत्र राजाराम जाट निवासी राजोद के ग्राम जायल में खेत खसरा नम्बर 2774/39 रकबा 5 बीघा व प्रार्थी महावीर पुत्र राजाराम जाट निवासी राजोद के खस. 2774/40 रकबा बीघा की जरिये रजिस्टर्ड बेचान दिनाक 02.8.2017 द्वारा खरीदशुदा व कब्जाशुदा भूमि स्थित है। जिसके विपते ही सरकारी भूमि खसरा नम्बर 2774 गैर मुमकीन मगरा स्थित है। प्रार्थीगण उक्त राजकीय भूमि में से ही होकर ही अपनी भूमि मे आते–जाते है। लेकिन इस राजकीय भूमि का उपयोग रास्ता प्रयोजन नही है। डामर सडक जायल से ढाकों की ढाणी से प्रार्थीगण को अपनी भूमि तक राजकीय भूमि खसरा नम्बर 2774 किस्म गैर मुमकिन मगरा मे से होकर रास्ता 3819 फुट लम्बा व 13 फुट चौडा प्रार्थीगण के भूमि तक जाता है। उक्त रास्ते के लिये डी.एल.सी की दर से भूमि की सम्पूर्ण राशि प्रार्थीगण जमा कराने के लिये तैयार है जो राजस्व रिकार्ड मे रास्ता दर्ज किया जाना आवश्यक है। हम प्रार्थीगण को हमारे खातेदारी भूमि मे आने जाने के लिये संलग्न नजरी नक्शा के मार्क अ से दी तक मौजा जायल के खसरा नम्बर 2774 गै.मु. मगरा मे से कटाणी रास्ता 3819 फुट लम्बा व 13 फुट चौडा आने जाने के लिये दिया जावे। लेकिन उक्त भूमि मे जाने के लिये राजस्व रिकोर्ड मे कोई रास्ता अंकन नही होने से भारी समस्या का सामना करना पड रहा है। जिससे हमें यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर माननीय न्यायालय से निवेदन है कि उक्त रास्ते का राजस्व रिकोर्ड मे दर्ज करवाने का तहसीलदार जायल को आदेश को प्रदान करावें। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की

उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.)
जायल जिला नागौर

Scanned by CamScanner

धारा 251 (क) के अन्तर्गत नये रास्ते के लिये आवेदन किया जा रहा है। इस भूमि मे आने-जाने के लिये मौजा जायल के खसरा नम्बर 2774 मे से नजरी नक्शा मे दर्शाये गये मार्क अ से बी के अनुसार 3819 फुट लम्बा व 13 फुट चौड़ा नया रास्ता उपलब्ध करवाया जावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर भूमिधारी तहसीलदार जायल को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रकरण मे तहसीलदार जायल से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गयी। तहसीलदार जायल ने पत्र क्रमांक/भू.अ/2019/1781 दिनांक 01.07.19 के द्वारा रिपोर्ट न्यायालय मे पेश की। तहसीलदार जायल ने अपनी रिपोर्ट पेशकर न्यायालय को अवगत कराया कि प्रार्थीगण मौजा जायल के खेत खसरा नम्बर 2774/40 रकबा 5 बीघा व ख.न. 2774/39 रकबा 5 बीघा के जरिये रजिस्टर्ड बेचान दिनांक 02.8.2017 द्वारा खरीदशुदा व कब्जाशुदा खातेदार है जिसमे जाने के लिये राजकीय भूमि खसरा नम्बर 2774 रकबा 1065.15 बीघा किस्म गैरमुमगरा मे से 3819 फुट लम्बा व 13 फुट चौड़ा रास्ता चाहते है जो प्रार्थीगण के उपरोक्तानुसार खसरान् खातेदारी भूमि के चिपता हुआ खसरा है नजरी नक्शा के मार्क अ से बी तक 3819 फुट लम्बा व 13 फुट चौड़ा रास्ता जो चाहा गया है प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि के निकटतम दुरी पर पड़ता है,यह रास्ता वर्तमान में ख.न. 2774 मे चलायमान है व रास्ते के निशानात मौजूद है तथा जिसका कुल रकबा 02.17 बीघा बनता है तथा डी.एल.सी रेट 23517/- प्रतिबीघा के हिसाब से रकबा 02.17 बीघा की 67027/- की रास्ते के लिये दी जाने वाली भूमि की कीमत दुगना करने के रूप मे 134054/- रू. बनती है।

बहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पुरजता प्रार्थना-पत्र पर आधारित रही तथा उन्होंने प्रार्थना-पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। बहस पर मय पत्रावली व राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

प्रार्थीगण मौजा जायल के खेत खसरा नम्बर 2774/40 रकबा 5 बीघा व ख.न. 2774/39 रकबा 5 बीघा मे आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध करवाए जाने की मौजा जायल के खेत खसरा नम्बर 2774 गैरमु. मगरा मे से नजरी नक्शा के मार्क अ से बी तक 3819 फुट लम्बा 13 फुट चौड़ा रास्ता की मांग कर रहा है जो कटाणी रास्ते से प्रार्थीगण के खेत के चिपता खसरा है तथा कटाणी रास्ते के निकटतम दुरी पर पड़ता है। काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(क) के अनुसार एक काश्तकार को उसकी भूमि मे आने-जाने के लिए निकटतम दुरी पर रास्ता उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप-6)विभाग के परिपत्र क्रमांक प03(52)राज-6/12/ दिनांक 14.06.2013 द्वारा के अनुसार यदि कोई खातेदार अपनी जोत तक पहुंचने के लिए राजकीय भूमि मे से होकर नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है ऐसे खातेदार द्वारा ऐसी सुविधा के लिए आवेदन करने पर यह समाधान हो जाने पर की मार्ग की आवश्यकता है एवं खातेदार को उसकी जोत तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक मार्ग का अभाव है तथा जिले में राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 2 के उप नियम (1) के खण्ड (ग) के तहत जिला स्तरीय गठित समिति द्वारा सिफारिश की गयी कृषि भूमि दरों का दुगना प्रतिफल लिया जाकर रास्ता प्रदत्त किया जा सकता है। प्रकरण में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार प्रार्थीगण की भूमि मे आने-जाने का रास्ता उपलब्ध नहीं है। आवागमन के लिये रास्ते की नितान्त आवश्यकता है। तहसीलदार जायल ने खसरा नम्बर 2774 रकबा 1065.15 बीघा किस्म गैरमुमगरा मौजा जायल मे से निजी भूमि को जाने के लिए नजरी नक्शा के मार्क अ से बी तक निकटतम दुरी पर बताया है। जिस का रकबा 2.17 बीघा बनता है। तहसीलदार जायल की रिपोर्ट पर न्यायालय सहमत है तथा रिपोर्ट मुताबिक रास्ता को राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज किया जाना अपेक्षित है। अतः उपलब्ध नक्शे, तहसीलदार जायल की रिपोर्ट के परिप्रेक्ष्य मे प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाता है।

-: आदेश :-

प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर मौजा जायल के खसरा नम्बर 2774 रकबा 1065.15 बीघा किस्म गैरमुमगरा मे से 3819 फुट लम्बा 13 फुट चौड़ा रास्ता रकबा 02.17 बीघा मार्किंग नजरी नक्शा अनुसार मौजा जायल के खसरा नम्बर 2774/39 रकबा 5 बीघा व 2774/40 रकबा 5 बीघा तक (3819 गुणा 13 =49647 वर्ग फुट)(क्षेत्रफल 2.17 बीघा) मार्क A से B लाल स्याही से दर्शाये अनुसार आवागमन हेतु घोषित की जाती है। रास्ते के लिए प्रदत्त की गई भूमि राजस्व अभिलेख मे रास्ता के रूप मे अभिलिखित की जावेगी एवं उक्त भूमि का प्रयोग सार्वजनिक होगा। तहसीलदार जायल को आदेश दिया जाता है की डी.एल.सी. दर की दो गुना राशि प्रार्थीगण से प्राप्त कर लेकर राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करे तथा प्रार्थीगण से ली जाने वाली राशि को संबंधित सरकारी मद मे जमा करावे। तहसीलदार जायल को निर्णय की पालना हेतु तहरीर जारी हो।

(सुरेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी जायल
जायल जिला नागौर

निर्णय आज दिनांक 16.08.19 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुरेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी जायल
जायल जिला नागौर

रीडर इंस्पेक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल जिला नागौर

Scanned by CamScanner